

कार्यालय वन वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

वन विद्यालय शिवपुरी प्रांगण, छत्री रोड, शिवपुरी (म.प्र.)

दूरभाष : 07492-223392, ई-मेल : ccf.svp@mp.gov.in

क्रमांक / डी.एम. / 2021 / 4671

शिवपुरी, दिनांक : 13/12/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबन्ध), सतपुड़ा भवन,
भोपाल, मध्य प्रदेश।

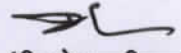
विषय :- सनघटा (ऐर) मध्यम सिंचाई परियोजना का वन प्रकरण स्वीकृति प्रस्ताव
बाबत। (PROP. NO. FP/MP/IRRIG/32935/2018)

सन्दर्भ :- आपका पृ. क्रमांक/एफ-3/52/2018/10-11/15/3967 दिनांक
30/11/2021

—00—

उपरोक्त विषय में सन्दर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि चाही गयी
जानकारी/प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु हार्डकॉपी में सादर सम्प्रेषित
है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(डी. के. पालीवाल)
मुख्य वन संरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी

— स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन —

शिवपुरी जिले में सनघटा (ऐर) मध्यम सिंचाई परियोजना (PROP. NO. FP/MP/IRRIG/32935/2018) का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है, उक्त परियोजना से वनमण्डल शिवपुरी के परिक्षेत्र पिछोर, करैरा के वनखण्ड धमधोली, वीरा, देवरी, रूपेपुर (उत्तर) के कक्ष क्रमांक 289, 290, 291, 292, 293, पी1074, पी1075, पी1076, पी1077, पी1103 कुल क्षेत्रफल 349 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित होगी। इस क्षेत्र का निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 24/11/2021 को किया गया।

उक्त परियोजना का निरीक्षण करने पर प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है तथा अन्य कोई विकल्प नहीं है।


(डी. के. पालीवाल)
मुख्य वन संरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी

**SPECIFIC RECOMMENDATIONS OF THE DFO SHIVPURI
SANGATA (AER) MEDIUM IRRIGATION PROJECT**

Division SHIVPURI,

Range KARERA

Compartment No.- 289,290,291,292,293 & P1074,
P1075, P1076P1077,P1103

Sr. No	Particular	Specific recommendations
1	Specific recommendations of the DFO with reason for approval of the project.	To provide better irrigation water to about 4630 ha. of 15 Villages Catchment command Area in Shivpuri Districts. It will also provide irrigation water to Command Area. It is recommended to divert 349 ha. of forest land to Use agency Executive Engineer Water Resources Division Shivpuri for proposed construction of Sangata(Aer Medium Irrigation Project (DAM). As per Condition of FCA Provisions : 1.) Green Belt/ fuel and fodder with irrigation will be developed on the expense of the user agency if needed in present and future time. 2.) For Wildlife, undisturbed movement, suitable underpasses and water sources should be made and provide water for future wildlife management.



Divisional Forest Officer

Division, Shivpuri

Division : Shivpuri

Place : Shivpuri

Date...24/11/2021